रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 480] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1971/भाद्र 24, 1893

No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 1971/BHADRA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Grih Mantralaya)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September 1971

S.O. 3408.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Sixth Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, in the Schedule, under the heading "Ministry of Defence", after entry 8, the following entry shall be inserted, namely:—

"9. Radar and Communications Project Office—Systems Officer."

[No. F. 3/3/71-Public.I.]

K. R. PRABHU, Jt., Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1971

का० नि० 3408.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखतें) षष्ठम संशोधन नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखतें), नियम, 1958, में, अनुसूची में, "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"9. राडार और संचार परियोजना कार्यालय —प्रणाली अफसर" ।

[सं० फा० 3/3/71-पब०-I]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971